उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
संख्या 1607/चौवालिस-2-92-80/90
लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 1992

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:– निरन्तर हानि पर चल रहे राज्य के उपक्रमों/निगमों को संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तन करने या उनका संचालन निजी क्षेत्र के उद्यमियों से कराया जाना।

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1275/चौवालिस–2-80/90-92 दिनांक 13 जुलाई, 1992 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य के ऐसे उपक्रम/निगम जिनको संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने अथवा उनका संचालन निजी क्षेत्र के उद्यमों से कराये जाने का प्रस्ताव है, उन प्रकरण को उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित समिति के विचारार्थ रखा जायेगा। परन्तु जहां पर उपक्रम/निगम की सम्पत्तियों का निस्तारण अथवा उसकी किसी इकाई/इकाइयों निजीकरण/निस्तारण का मामला हो वहां ऐसे प्रस्तावों पर विचार हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर पर विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से एक समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में वित्त एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधियों को नामित किया जायेगा। जिस प्रकृति की परिसम्पत्तियों का विक्रय किया जाना निहित हो उससे सम्बन्धित विशेषज्ञों को भी इस समिति में सम्मिलित कर लिया जाये।

[सी०बी० पालीवाल]
विशेष सचिव।

सेवा में,

1- सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

पृष्ठांकन पत्रांक– 1607 (1)/चौ०-2-80/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

आज्ञा से,
[सी०बी० पालीवाल]
विशेष सचिव।